आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2017–18/411 दिनांक : 1-9-17

समस्त प्राचार्य, जिला नोडल अधिकारी
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय–ऑनलाईन छात्रवृति हेतु महाविद्यालय में संचालित कोर्सज का रजिस्ट्रेशन एवं अनुमोदन http://scholarship.rajasthan.gov.in पोर्टल पर करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उच्चशिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियों के ऑनलाईन आवेदन हेतु http://scholarship.rajasthan.gov.in पोर्टल पर निम्नानुसार शीघ्र कार्यवाही कर सूचित करावें जिससे की विद्यार्थियों को छात्रवृति आवेदन पत्र भरते समय कोई व्यवधान नहीं हों।

1. अपने महाविद्यालयों में संचालित कोर्सेज की सत्र 2017–18 के लिए कोर्स मैपिंग करावें।
2. जिन महाविद्यालयों ने सत्र 2016–17 में अपने महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह इस सत्र 2017–18 में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रशन करावे एवं कोर्स मैपिंग करें। रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स मैपिंग कराये बिना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
3. वर्तमान में महाविद्यालय में संचालित समस्त कोर्सेज का संबंधित विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से अनुमोदन (Approved) करावें तदुपरान्त ही विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

उपर्युक्त कार्यवाही में विलम्ब किया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का होगा।

(एन. एल शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2017–18/412-414 दिनांक : 1-9-17

प्रतिलिपि–

1. समस्त रजिस्ट्रार/विश्वविद्यालय राज्य वित्त पोषित राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. निजी सचिव/प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर
3. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार